रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2015/पौष 24, 1936
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2015/PAUSA 24, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2015

का.आ. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-कलेक्टर, वलसाड, द्वितीय तल, कलेक्टर ऑफिस, वलसाड, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नामः वलसाड

क्रम.सं.	तालुका	ग्राम का नाम	ब्लाक संख्या/सर्वे संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	उमरगाव	(1) गोवाडा	111/3	0.0035
			71	0.2163
		(2) सोलसुंबा	223/1	0.2676
			124/पै–1	0.6091
			123	0.0875
			124/पै–19	0.3214
			124/18	0.2231
			124/22	0.2702
			125/3	0.5257
			125/1	0.1497
			125/2	0.1895
			224	0.4783
			126	0.2522
			127/2/1	0.1940
			127/2/4	0.0613
			128	0.0899
			129	0.5968
		(3) हुमरन	17/1	0.4149
			16	0.1370
		(4) संजान	87/2	0.0056
			87/6	0.0618
			87/4	0.0920
			87/8	0.1571
			87/7	0.0668
			62/3/1/1	0.0361
		(5) तुंब	174	0.0211
			175	0.0643
		(6) मलाव	58	0.0517
		(7) देहेली	197/पै–2	0.2496
			208/1/2	0.0461
			26/पै	0.0824

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/575]
अचल जैन, कार्यकारी निदे ाक (भूमि और सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2015

S.O. 147(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance,

management and operation of Special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in the District of Valsad, in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector, Valsad, Office of Deputy Collector, Second Floor, Collector Office, Valsad, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section-20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project(s), Western DFCC in District of Valsad, in the State of Gujarat.

Name of District – Valsad

Sr. No.	Taluka	Name of village	Block / Survey No.	Area in Ha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Umargaon	(1) Gowada	111/3	0.0035
			71	0.2163
		(2) Solsumba	223/1	0.2676
			124/P-1	0.6091
			123	0.0875
			124/P-19	0.3214
			124/18	0.2231
			124/22	0.2702
			125/3	0.5257
			125/1	0.1497
			125/2	0.1895
			224	0.4783
			126	0.2522
			127/2/1	0.1940
			127/2/4	0.0613
			128	0.0899
			129	0.5968
		(3) Humran	17/1	0.4149
			16	0.1370
		(4) Sanjan	87/2	0.0056
			87/6	0.0618
			87/4	0.0920
			87/8	0.1571
			87/7	0.0668
			62/3/1/1	0.0361
		(5) Tumb	174	0.0211
			175	0.0643
		(6) Malav	58	0.0517
		(7) Deheli	197/P-2	0.2496
			208/1/2	0.0461
			26/P	0.0824

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/575]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.